

फर्द अहकाम
अज अदालत मुकाम जिला कलक्टर, भरतपुर
किरम मुकदमा धारा-8 ए गौवंश अधि.
थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर भरतपुर बनाम अफसर वगै०
मुकदमा सं० ...७...सं० 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
28.01.25	<p>गार साधक पदाधिकारी, पुलिस थाना सेवर भरतपुर ने पत्रांक 394 दिनांक 25.01.2025 से प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) धारा 5/8 एफ.आई.आर. सं० 498/2012 विरुद्ध अप्रार्थी अफसर पुत्र मौहम्मद इरसाद जाति मुसलमान निवासी सैयदपाडा लोहा मण्डी आगरा यू.पी. पेश किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलवी हेतु नोटिस जारी हों।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर भरतपुर</p>	
30.01.25	<p>आज यह पत्रावली जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र क्रमांक प.()आव/अभि/वाहन नीलामी/24-25 /3850 दिनांक 30.01.2025 पर पेश हुई। जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर ने उक्त पत्र में निवेदन किया है कि - "ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 गोवंश का अवैध परिवहन करने के साथ अवैध मदिरा का परिवहन करने के कारण थानाधिकारी सेवर भरतपुर द्वारा उक्त वाहन को जप्ताराज किया गया है। जिला आवकारी अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को वाहन छुड़ाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी की गयी। इसके वावजूद भी सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा न तो वाहन को छुड़ाया गया और न ही इस पर आरोपित जुर्माना राशि आवकारी विभाग में जमा राज करायी गयी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी आवकारी आयुक्त राज० उदयपुर द्वारा अपने आदेश 1078 दिनांक 28.06.2022 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज० आवकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जप्त वाहन ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। जिसे क्रेता राजेश शर्मा पुत्र लक्ष्मी कान्त हरित, निवासी 281 स्कीम नं० 1 अलवर राज० द्वारा क्रय किया गया है।"</p> <p>जिला आवकारी अधिकारी द्वारा अन्त में प्रार्थना की गई है कि राजस्थान गौवंश अधिनियम में वाहन सुपुर्दगी का अधिकार जिला कलक्टर भरतपुर का है अतः उक्त वाहन जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया, जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर, भरतपुर द्वारा दिनांक 26.11.2012 को वाहन ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 में गोवंश 16 बैल टैंस-टैंस कर क्रूरता पूर्वक राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर एवं उक्त ट्रक में 20 लीटर हथकड़ देशी शराव रखने, गोवंश परिवहन करने का कोई परमिट नहीं होने के</p>	

कारण एवं देशी शराब परिवहन का लाईसेंस नहीं होने के कारण मुकदमा नं० 498/2012 धारा 5/8 गौवंश अधिनियम एवं एक्साईज एक्ट की धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर उक्त ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 को जप्त किया गया है।

चूँकि जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत कार्यवाही करते हुये वाहन स्वामी को वाहन छुड़ाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी कराये जाने के उपरान्त वाहन स्वामी के उपस्थित नहीं होने पर, आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा उनके आदेश 1078 दिनांक 28.06.2022 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज० आबकारी अधिनियम 1950 धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जब्त वाहन ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि वाहन स्वामी को अपने जप्त वाहन ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 को छुड़वाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

एफआईआर संख्या 498/2012 में दर्ज राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत गौवंशीय पशु का अवैध परिवहन करने के कारण धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जाना है, यहाँ यह स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा जप्त वाहन की जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण वाहन को राजस्थान आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा राजसात किया जा चुका है तथा उक्त वाहन की नीलामी भी हो चुकी है ऐसी स्थिति में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के तहत उक्त जप्त वाहन को जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर के निवेदनानुसार उनको सुपुर्दगी में दिया जाना उचित पाते हैं। भविष्य में गौवंशीय अधिनियम की धारा 5/8 के सन्दर्भ में न्यायालय हाजा में आपत्ति करने को वाहन स्वामी स्वतन्त्र है। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेंगे। अब इस प्रकरण में गैरसायल को तलब किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः भार साधक पदाधिकारी, पुलिस थाना सेवर भरतपुर को इस आशय की कैंफियत जारी हो कि एफआईआर संख्या 498/2012 में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त वाहन ट्रक संख्या RJ 05 G 4344 अन्य किसी प्रकरण में वांछित (Wanted) ना हो तो जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिया जावे। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेंगे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवारी दाखिल दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
भरतपुर